

अध्याय 2

¹[संयोजन उद्ग्रहण]

नियम 3 : संयुक्त उद्ग्रहण के लिए सूचना

- (1) कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है और जो धारा 10 के अधीन कर के संदाय का विकल्प देता है, नियत दिन से पहले किन्तु उक्त दिन के पश्चात् या तीस दिन के अपश्चात् या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01** में इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना फाइल करेगा:

परन्तु जहां **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01** में की सूचना नियत दिन के पश्चात् फाइल की जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन से कोई भी कर संगृहीत नहीं करेगा किन्तु उक्त दिन के पश्चात् की गई पूर्तियों के लिए पूर्ति का बिल जारी करेगा।

- (2) कोई भी व्यक्ति, जो नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-01** के भाग ख में धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प दे सकेगा, जिसे उक्त धारा के अधीन कर संदाय करने की सूचना के रूप में समझा जाएगा।
- (3) कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प देता है, उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले, जिसके लिए पूर्वोक्त धारा के अधीन कर संदाय के विकल्प का प्रयोग किया गया है या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02** में सूचना फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से साठ दिन की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-3** में विवरण देगा।

²परन्तु कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02** में सूचना को जून, 2020 के 30वें दिन या उससे पूर्व तक फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-3** में विवरण जुलाई, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करेगा।]

³[(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया

¹ अधिसूचना क्रमांक 3/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा "संयोजन नियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

² अधिसूचना क्रमांक 30/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 03.04.2020 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.03.2020)।

³ अधिसूचना क्रमांक 45/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 13.10.2017 द्वारा उपनियम (3क) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 13.10.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व उप-नियम अंतःस्थापित अधिसूचना क्रमांक 34/2017- केन्द्रीय कर, दिनांक 15.09.2017 द्वारा दिनांक 15.09.2017 से प्रभावशील-

अवधि 15.09.2017 से 12.10.2017 तक, यह इस प्रकार था:

"(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसने नियम 8

है या जिसे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, धारा 10 के अधीन उस मास के, जिसमें उसने सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संसूचना फाइल करता है, के तुरंत उत्तरवर्ती मास की पहली तारीख से कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में उस दिन, जिसको ऐसा व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय करना आरंभ करता है, से ⁴[एक सौ अस्सी दिन] की अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा:

परन्तु उक्त व्यक्तियों को प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी टीआरएन-01 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।]

- (4) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल करता है, स्टॉक के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उस तारीख से पूर्ववर्ती दिन को, जिससे वह उक्त धारा के अधीन कर संदाय करने का विकल्प देता है, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त उसके द्वारा धारित माल की आवक पूर्ति भी है, उस तारीख से ⁵[नब्बे दिन] के भीतर, जिससे संयुक्त उद्ग्रहण के विकल्प का प्रयोग किया जाता है या ऐसी और अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी सीएमपी-03 में देगा।
- (5) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (1) या उपनियम (3) ⁶[या उपनियम (3क)] के अधीन किसी भी सूचना को उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत कारबार के सभी अन्य स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा।

के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, 1 अक्टूबर, 2017 से इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से संसूचना फाइल करके धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह उक्त तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में एक विवरण प्रस्तुत करेगा :

परन्तु उक्त व्यक्तियों को प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में विवरण प्रस्तुत कर देने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी टीआरएन-01 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।”

- 4 अधिसूचना क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा “90 दिन” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.01.2018)।
- 5 अधिसूचना क्रमांक 22/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 17.08.2017 द्वारा “60 दिन” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 17.08.2017)।
- 6 अधिसूचना क्रमांक 34/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15.09.2017 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.09.2017)।